

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar, BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ/

दिनांक : 18 /12/2023.

प्रति.

प्रधान सचिव (वन) मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, (मध्यप्रदेश)।

विषय: बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेत् 8.0357 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल वनमण्डल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमण्डल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेलवे नागप्र डिवीजन को उपयोग पर देने बाबत FP/MP/RAIL/150074/2021) I

संदर्भ: 1) कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ दिनांक 17/07/2023.

2) नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1211/2022/10-11/4859 दिनांक 31/10/2023.

महोदय.

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

- 1. The State Govt with reference to point 9 stated that works on existing line was done in the year 1919 and 1986 therefore as per the guideline handbook para 1.13 the comments and copy of necessary order/notification or approval under the provision of FCA 1980 shall be submitted.
- 2. With reference to this office EDS point 7 the comment of CWLW has been provided and told that provision made in the document of WII regarding infrastructural Projects to mitigate measures for wildlife protection shall be taken under consideration during the work. Therefore site specific activity/structure required and detail of provision of fund for that construction shall be presented to this office.
- 3. Though the NOC from NHAI has been taken but, If such forest area up to which diversion has been taken under the provision of FCA 1980 by NHAI earlier and is also proposed to be used by the railways in this project then necessary action shall be taken as per provision of handbook for FCA 1980 para 5.6.

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अन्रोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सबे

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, वन भवन, त्लसीनगर, भोपाल। Scanned with CamScanner